भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 92
दिनांक 03.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

हर घर नल से जल योजना

92. # श्रीमती महुआ माजीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) झारखंड में दिसंबर, 2024 में केवल 2,713 घरों तक नल का जल पहुंचने के क्या कारण हैं, जबकि पहले यह संख्या अधिक थी, तथा इस योजना को बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या केंद्र सरकार की देरी से झारखंड, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल में ग्रामीण परिवार स्वच्छ पेयजल से वंचित हैं तथा इस समस्या को दूर करने के लिए क्या त्वरित कदम उठाए गए हैं; और
(ग) क्या केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के तहत ₹2114.22 करोड़ आवंटित होने के बावजूद धनराशि जारी करने में हुई नौ महीने की देरी को पेयजल आपूर्ति में हुई बाधा के रूप में स्वीकार करती है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख) भारत सरकार, राज्यों के साथ भागीदारी में, अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) लागू कर रही है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति प्रदान की जा सके। पेयजल राज्य का विषय होने के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शनों (एफएचटीसी) की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**राज्य**	**ग्रामीण परिवारों की संख्या (लाख में)**	**15.08.2019 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या**	**29.01.2025 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या**
1	झारखंड	62.55	3.45 (5.52%)	34.18 (54.65%)
2	राजस्थान	107.77	11.68 (10.84%)	59.56 (55.27%)
3	पश्चिम बंगाल	175.56	2.14 (1.22%)	95.33 (54.33%)

स्रोत: जेजेएम आईएमआईएस

(ग) जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्तमान कार्यक्रम और वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार झारखंड सहित राज्यों को केन्द्रीय सहायता अनुदान उनके द्वारा पात्रता शर्तों को पूरा करने के आधार पर जारी किया जाता है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय ने झारखंड सहित पहचान किए गए राज्यों को 31.07.2024 के बाद केवल एसएनए-स्पर्श के माध्यम से कोई केंद्रीय अनुदान जारी करने का भी निर्देश दिया है। 29.01.2025 को सूचित किए गए अनुसार, झारखंड राज्य के पास अभी भी उनके एकल नोडल खाते में 119.12 करोड़ रुपये की शेष राशि है।
